Ph. No. 0151 - 2540022 (O)
2549348 (Fax)
comp.rajuvas@gmail.com

RAJASTHAN UNIVERSITY OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, BIKANER

No: F. (6))/ RAJUVAS /COMP./Audit/2016/378 Dated 01-9-2016

परिपत्र

विषय :— राजकीय धन/सम्पति के दुर्विनियोजन, गबन, चोरी एवं हानि के प्रकरणों में प्रभावी कार्यवाही करने बाबत।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत शासन उप सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान, सरकार ने अपने पत्रांक प.10 (01)प पा/2015 दिनांक 19.07.2016 के साथ प्रमुख शासन सचिव, वित्त, (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक प. 7 (1) वित्त/अंकेक्षण/2002 दिनांक 28.06.2016 की प्रति संलग्न करते हुए संबंधित अधिकारियों को चोरी, गबन, दुर्विनियोजन एवं हानि आदि के प्रकरणों के त्वरित निस्तारण किये जाने हेतु निर्देशित किया है।

अतः विश्वविद्यालय के सभी कार्यालयों/संस्थाओं एवं यूनिट प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि जिन अधिकारियों के कार्यालयों/संस्थाओं के चोरी, गबन, दुर्विनियोजन एवं हानि आदि के प्रकरण लम्बित हैं, उनका निस्तारण करने हेतु प्रकरण कुलसचिव एवं अधोहस्ताक्षरकर्ता के ध्यान में तुरन्त लाया जावे।

उक्त क्रम में गबन/हानि की राशि की वसूली एवं अन्य कार्यवाही, यथा—विभागीय जाँच, पुलिस कार्यवाही आदि तुरन्त की जावे।

सभी संस्था/कार्यालय/यूनिट प्रभारी समय पर (प्रति माह) बैंक से अंक मिलान, कोषागार से मिलान, रोकड़ बही का वाउचरों से सत्यापन, स्टोर का भौतिक सत्यापन एवं रोकड़ व सामग्री की समुचित सुरक्षा के संबंध में उचित कार्यवाही सुनिश्चित करें।

न्यायालय में उक्त विषयक उल्लेखित प्रकरण विचाराधीन हो तो समुचित पैरवी की जावे। किसी दोषी कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्ध कोई प्रकरण लंबित हो तो उनकी सेवा निवृति पूर्व अपेक्षित पुलिस कार्यवाही, विभागीय जाँच तथा वसूली आदि समय पर की जावे।

रोकड़, स्टोर, राजस्व, संग्रहण तथा लेखा संधारण आदि कार्यों पर गबनकर्ता कार्मिक को नहीं रखें।

विश्वविद्यालय में प्लेसमेंट एजेंन्सी के माध्यम से भी कार्य निष्पादन करवाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति को किसी इकाई के नियमित या कार्यवाहक प्रभारी द्वारा कार्य निष्पादन हेतु हटा दिया गया है तो उसे दुबारा लगाना हितकर नहीं है। यदि ऐसे प्रकरण ध्यान में आते है तो उन व्यक्तियों की सेवाएं नहीं ली जावे। इस प्रकार के प्रकरणों को सीधे नोडल अधिकारी के संज्ञान में लाना सभी से अपेक्षित है।

उक्त सभी कार्यों पर निगरानी हेतु लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजुवास, नोडल अधिकारी होंगे।

(अरविन्द बिश्नोई)
वित्तनियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

(1) प्रमुख शासन सचिव वित्त (अंकेक्षण) विभाग, राजस्थान, सरकार, जयपुर।
(2) शासन सचिव, पशुपालन विभाग,राजस्थान सरकार, जयपुर।
(3) निजी सचिव, कुलपति राजुवास को माननीय कुलपति के अवलोकनार्थ।
(4) कुलसचिव, राजुवास, बीकानेर।
(5) लेखाधिकारी/वरिष्ठ लेखाधिकारी, राजुवास, बीकानेर (नोडल अधिकारी)।
(6) समस्त कार्यालयाध्यक्ष/यूनिट प्रभारी, P.I. R&D. ABG., CVAS Bikaner
(7) विधि अधिकारी, राजुवास, बीकानेर।
(8) प्रभारी अधिकारी, आंतरिक लेखा जाँच दल।

वित्तनियंत्रक